

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:निस/निदेशक(जन स्वास्थ्य)/2018/16

दिनांक: 01.02.2018

आदेश

एस.बी.सिवील रिट पिटिशन नम्बर 13435/2017 श्री बाबूलाल शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 22.01.2018 के द्वारा अग्रिम तारीख पेशी (In the meantime and till Next date) तक श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा को रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर का कार्य नहीं करने (restrained) के निर्देश प्रदान किये हैं।

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर में कार्य व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देशानुसार श्री सुमन्त कुमार व्यास, डीसीएनएस एवं पद विरुद्ध उप निदेशक (नर्सिंग), मुख्यालय को अपने स्वयं के कार्य के साथ साथ रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर का कार्य सम्पादन हेतु अग्रिम आदेशों तक तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है।

01.02.18

पदेन अध्यक्ष एवं  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:निस/निदेशक(जन स्वास्थ्य)/2018/16

दिनांक: 01.02.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज.जयपुर।
4. सचिव, भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय।
6. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. श्री सुमन्त कुमार व्यास, डीसीएनएस एवं पद विरुद्ध उप निदेशक (नर्सिंग), मुख्यालय।
9. श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

01.02.18

पदेन अध्यक्ष एवं  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।